न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 12/2014

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थी :-

1. ओमप्रकाश पुत्र माडूसिंह
जाति-यादव पेशा काश्त,
निवासी-हाउस नं. 342
पपरावट पोस्ट नजबगढ़,
नई दिल्ली-110043

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 तारीख रजूः. 16/01/2014

उपस्थितः. 1 श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 08/07/2015

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, विरुद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि खसरा नंबर 423/21 रकबा 48 बीघा में से 1/5 हिस्सा पुसा पुत्र भागू जाति-गुर्जर, निवासी कोटडिया, तहसील-जैतारण से जरिये पंजीकृत बैचाननामा के खरीद किया गया था। बैचाननामा की छाया प्रति साथ पेश की है। तत्पश्चात बैचाननामा के अनुसार नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में म्यूटेशन अपील पेश की, जो स्वीकार की जाकर प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया तथा म्यूटेशन भरने हेतु पत्रावली तहसीलदार जैतारण को भेजी गयी। म्यूटेशन अपील सं. 7/2008 निर्णय दिनांक 11/08/2008 की छाया प्रति साथ पेश की हैं। निर्णय अनुसार नामान्तरकरण सं. 773/09/08/10 भरा गया, जो जमाबंदी व नामान्तरकरण की छाया प्रति साथ पेश की हैं। परन्तु नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता का नाम मोडूराम कर दिया गया हैं, जो कि गलत हैं तथा जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी के पिता का नाम मोडुराम नहीं हैं। बल्कि माडुसिंह हैं, जो इसके समर्थन में प्रार्थी का पैन्शनर पहचान पत्र की छाया प्रति तथा ड्राइविंग लाइसेन्स की छाया प्रति साथ पेश की है तथा रजिस्ट्री की नकल की छाया प्रति कार्यवाही के साथ पेश की हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व म्यूटेशन में प्रार्थी के पिता का नाम मोडाराम को दुरुस्त करने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार, जैतारण को व पटवारी हल्का को निवेदन किया, तो दिनांक 13/01/14 को ईन्कार हो गये। इसलिए यह कार्यवाही ही धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत् पेश किया हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण स्वयं अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए। अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 एवं ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर C09121999150430 दिनांक 22/04/2003, पैन्शनर पहचान पत्र कर्मचारी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

18735, कार्ड संख्या 860 के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज मोडाराम त्रूटिपूर्ण होने से माडूसिंह एक व्यक्ति प्रार्थी के पिता ही है तथा वास्तविक प्रार्थी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र माडूसिंह ही है, जरिए शुद्धि-पत्र दुरूस्ती किया जावें।

अतः तहसीलदार, जैतारण के जबाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 एवं ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर C09121999150430 दिनांक 22/04/2003, पैन्शनर पहचान पत्र कर्मचारी संख्या 18735, कार्ड संख्या 860 का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। लिहाजा प्रार्थी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र मोडाराम के स्थान पर वास्तविक प्रार्थी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र माडूसिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व आधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि खसरा नंबर 423/21 रकबा 48 बीघा में से 1/5 हिस्सा पुसा पुत्र भागू जाति-गुर्जर, निवासी कोटडिया, तहसील-जैतारण से जरिये पंजीकृत बैचाननामा के खरीद किया गया, भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम वास्तविक रूप से ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर C09121999150430 दिनांक 22/04/2003, पैन्शनर पहचान पत्र कर्मचारी संख्या 18735, कार्ड संख्या 860 के दस्तावेजात अनुसार माडूसिंह एक ही व्यक्ति प्रार्थी के पिता ही हैं। अतः वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र माडूसिंह होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र कुड़की में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner